



छत्तीसगढ़ विधान सभा
षष्ठम् विधान सभा का द्वितीय सत्र
(फरवरी-मार्च, 2024 सत्र)

सोमवार, दिनांक 05 फरवरी, 2024 को
माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य द्वारा
सोमवार, दिनांक 05 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत

कृतज्ञता-ज्ञापन प्रस्ताव में
संशोधन की सूचनाएं

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों के संशोधन प्राप्त हुए हैं उन सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :-

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
4. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य
5. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
6. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य
7. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य
8. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य
9. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य
10. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य
11. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य
12. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य
13. श्री इन्द्र शाह मण्डावी, सदस्य

इस संकलन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में उपर्युक्त माननीय सदस्यों के ग्राह्य संशोधनों की सूचनाओं को ही सम्मिलित किया गया है। कुछ संशोधनों में आंशिक रूप से सुधार किया गया है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

1. डॉ. चरणदास महंत, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. पाँच लाख वन अधिकार पट्टा दिये जाने की गारंटी ली थी, लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं है।
2. सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर सभी कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिये कदम उठाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के वनों के रक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के औद्योगिक व व्यापारिक गतिविधियां कैसे बढ़ाई जायेंगी का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर कोई उल्लेख नहीं है।
6. “जनजाति उत्थान प्रदेश का मान” वाक्य पर सरकार क्या करेगी, का उल्लेख नहीं है।
7. धान 3100 रुपये, में खरीदना था जिसका कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के नियंत्रण हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।
9. किसानों को एक मुश्त भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
10. मितानिनों के वेतन वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
11. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हितों का उल्लेख नहीं है।
12. वन कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण का उल्लेख नहीं है।
13. एक लाख (खाली) रिक्त पदों पर भर्ती हेतु किसी भी नीति का उल्लेख नहीं है।
14. संविदा कर्मचारियों के भविष्य को लेकर किसी भी राहत का उल्लेख नहीं है।
15. शासकीय कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मांग व राहत का उल्लेख नहीं है।
16. महिला स्व-सहायता समूहों को राहत देने संबंधी बातों का उल्लेख नहीं है।
17. मजदूरों के कल्याण कारक नीतियों का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में वन्य जीव-जन्तुओं के संवर्धन का उल्लेख नहीं है।
19. खेतिहार मजदूरों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
20. धान खरीदी हेतु भुगतान केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
21. पंचायत कर्मियों के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है।
22. नक्सल समस्या के समाधान हेतु किसी भी रोडमैप का उल्लेख नहीं है।
23. शासकीय अस्पतालों में जन सुविधाएं व उपचार की गुणवत्ता बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
24. महिलाओं को 500 रुपये के गैस सिलेण्डर दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
25. भूमिहीन मजदूरों को लाभ पहुंचाने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. पिछले वर्ष के धान की चौथी किश्त का उल्लेख नहीं है।
2. 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का उल्लेख नहीं है।
3. 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी हेतु एकमुश्त नगद राशि भुगतान का उल्लेख नहीं है।
4. धान खरीदी समाप्त जबकि अभी भी बहुत सारे किसानों का धान बेचना बाकी है, जिसके संबंध में उल्लेख नहीं है।
5. प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, किन्तु 18 लाख हितग्राहियों के चिन्हांकित होने के बाद जो नये हितग्राही चिन्हांकित हुये हैं उनके संबंध में उल्लेख नहीं है।
6. महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलिंडर देने का उल्लेख नहीं है।
7. राजिम पुन्नी मेला का नाम राजपत्र में प्रकाशित है, लेकिन अभिभाषण में बदले हुये नाम राजिम कुंभ (कल्प) का उल्लेख है।
8. राज्य में विवाहित महिलाओं की संख्या लगभग 01 करोड़ से अधिक है। सरकार द्वारा घोषित योजना का लाभ बहुसंख्यक महिलाओं को मिलना संभव नहीं है। चुनाव पूर्व महतारी वंदन योजना हेतु जिन महिलाओं द्वारा फार्म भरे गये थे, उनमें से अधिकांश महिलायें 1000 रुपये प्रतिमाह मिलने से वंचित हो जायेंगे, जबकि घोषणा प्रत्येक विवाहित महिलाओं के लिए की गई है।

3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. डौंडी लोहारा विधान सभा क्षेत्र में माइन्स में लगे मजदूरों के हित का उल्लेख नहीं है।
2. किसानों की सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
3. डौंडी लोहारा विधान सभा क्षेत्र में पुनर्वास और मुआवजा देने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का उल्लेख नहीं है।
5. बालोद जिला में नई कॉलेज भवनों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
6. आवागमन की सुविधा को देखते हुये पुल-पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
7. डौंडी लोहारा विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी देने का उल्लेख नहीं है।
10. सड़कों के नाम से या मकान बनाने के लिये पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में नई सिंचाई योजना का उल्लेख नहीं है, तथा अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूर्ण किये जाने की अवधि का उल्लेख नहीं है ।
2. प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के संधारण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की समग्र नीति क्या होगी, कब तक बनेगी इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री पर रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में वनों की हो रही अवैध कटाई की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
6. राज्य के कर्मचारियों के लिए चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी रोकने, फीस नियामक आयोग के गठन का कोई उल्लेख नहीं है।
8. वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए नीति का उल्लेख नहीं है।
11. धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था को सुधारने का उल्लेख नहीं है।
12. बे-मौसम बारिश व ओलावृष्टि से परेशान किसानों के लिए मुआवजा राशि का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में बेरोजगारों को 2500 रु. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
14. पिछड़े वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में छात्रावास खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
15. पेट्रोल व डीजल में वेट टैक्स कम करने का उल्लेख नहीं है।
16. शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में जल संग्रहण को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
19. बुनकरों व शिल्पकारों के विकास के लिए किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश में नये टाउनशिप एवं कॉलोनी निर्माण हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश में सीवरेज का पानी नदी में जाने से रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश में कुपोषण से मुक्त करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश की नदियों के कटाव को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश में हो रहे अवैध रेत खनन को रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश में भू-माफिया बढ़ रहे हैं, रोकथाम के उपायों का उल्लेख नहीं है।
27. वनों के समुचित संवर्धन एवं संरक्षण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश के मजदूरों का पलायन रोकने के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
30. समस्त शासकीय लिपिक वर्ग के वेतन विसंगति दूर कर वेतनमान में सुधार का उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।
32. प्रदेश के लोक कलाकारों को उचित सम्मान दिये जाने एवं लोक संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश के अस्पतालों में दवाईयों, उपकरणों एवं पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ उपलब्ध कराने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
34. निर्धन कन्या विवाह हेतु योजना प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।
35. महिला स्व-सहायता समूहों की कर्ज माफी का कोई उल्लेख नहीं है।
36. प्रदेश के किसानों को पूरा बिजली बिल माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
37. प्रदेश के किसानों को रबी फसल का बोनस देने का कोई उल्लेख नहीं है।
38. ई-फ्रॉड रोकने का उल्लेख नहीं है।
39. भूमिहीन कब्जाधारियों को पट्टा देने का उल्लेख नहीं है।
40. पर्यटन स्थल के विकास की नीति का उल्लेख नहीं है।
41. DMF फंड के अनुचित उपयोग को रोकने का उल्लेख नहीं है।
42. शिक्षा लोन पर अनुदान का कोई उल्लेख नहीं है।
43. सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम का उल्लेख नहीं है।
44. शासकीय कर्मचारियों को समय पर केन्द्र के सामान मंहगाई भत्ता एवं बकाया राशि दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री भोलाराम साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पीपरखार नदी में उच्च स्तरीय पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
2. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अंबागढ़ चौकी से सेम्हर बांधा के नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
3. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सालहे से चांदो के मध्य नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
4. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दंतरंगा टोला मार्ग पर घुमरिया नदी में उच्च स्तरीय पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
5. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत साड़ीखैरी से बेदांडी के मध्य नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
6. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तुरैगढ़ से तलवार टोला के मध्य जलेकसा नदी में पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
7. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-उमरवाली विकासखण्ड छुरिया में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
8. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गौदारोला विकासखण्ड छुरिया में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
9. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुमरहा विकासखण्ड छुरिया में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
10. खुज्जी विधान सभा अंतर्गत कांपा जलाशय बांध एवं नहर मरम्मत कार्य का उल्लेख नहीं है।
11. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल मोरकुटुम्बा में नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
12. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल चिरचारीखुर्द में नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
13. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल सालहेटोला में नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

14. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हैदतकोड़ो में नवीन माध्यमिक शाला भवन का उल्लेख नहीं है।
15. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला पण्डरापानी में नवीन शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
16. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल जोशीतमती को हायर सेकेण्ड्री शाला में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
17. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला टीपानगढ़ को पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
18. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला पढ़ानढडगी को माध्यमिक शाला में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
19. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ओरेबांधा को हाईस्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
20. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हाई स्कूल धुहाडबडी को हायर सेकेण्ड्री शाला में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
21. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पांगडीखर्द विकासखण्ड छुरिया में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
22. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत धुपसाल (छु.) विकासखण्ड छुरिया में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
23. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरी विकासखण्ड छुरिया में नवीन मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
24. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छछानपहड़ी विकासखण्ड अम्बागढ़ चौकी में नवीन मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
25. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लारमेरा विकासखण्ड छुरिया में नवीन मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
26. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गिदरौ विकासखण्ड छुरिया में नवीन मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
27. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पण्डरी पथरा विकासखण्ड छुरिया में नवीन मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

28. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोर तालाब विकासखण्ड छुरिया में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
29. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बैरागीभेड़ी से भोलापुर तक पहुंच मार्ग लंबाई 2 कि.मी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
30. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गदयार से जोशीलमती मार्ग लंबाई 03 कि.मी. पक्की सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
31. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चिरचाड़ीखुई से खुसौडिकुल मार्ग लंबाई 03 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
32. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्र अंतर्गत मुवातरगांव से तुमड़ीलेवा मार्ग लंबाई 04 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
33. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत झाड़ीखैरी से मुडमाड़ी महाराष्ट्र सीमा तक लंबाई 03 कि.मी. पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
34. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भोलापुर से पाण्डेटोला मार्ग लंबाई 02 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
35. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बीजेपार से भरौटोला लंबाई 03 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
36. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चिरचाड़ीखुई से अघोली लंबाई 03 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
37. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उमरवाही से धोबनी लंबाई 04 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
38. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत देवरी रोड़ से उमरवाही लंबाई 02 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
39. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत करमड़ी से पथराढ़ेला मार्ग लंबाई 02 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
40. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आमाकट्टा से बावली तक लंबाई 08 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
41. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तेन्दूटोला से धुपताल मार्ग लंबाई 03 कि.मी. मजबूतीकरण एवं चौड़करण निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

42. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मालडोंगरी से अम्बागढ़ चौकी मार्ग लंबाई 04 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
43. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सेन्हरबांधा से भडानेना मार्ग लंबाई 03 कि.मी. पक्की सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
44. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पेन्दलदुही से निगमचुवा मार्ग लंबाई 02 कि.मी. पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
45. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पण्डरापानी से दवालदण्ड मार्ग लंबाई 02 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
46. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत केदेगांव से बीजेपार मार्ग लंबाई 03 कि.मी. पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
47. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मुंजालपायरी से चोरहाबंजारी तक लंबाई 03 कि.मी. पक्की सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
48. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मेन रोड से रानीपुर खडखडी मार्ग लंबाई 03 कि.मी. पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
49. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पदेवाडीह से साल्हेरोला मार्ग लंबाई 05 कि.मी. तक सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
50. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत लालूटोला से गोटाटोला मार्ग लंबाई 03 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
51. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नांदिया से बरारमुण्डी मार्ग लंबाई 03 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
52. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंडरीपचरा से गहिराघेड़ी मार्ग लंबाई 03 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
53. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आलीवारा चौक से रामतराई मार्ग लंबाई 02 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
54. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मातेखेड़ा से फाफामार मार्ग लंबाई 03 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
55. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दैहान से लाममेटा मार्ग लंबाई 02 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

56. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खोराटोला से गर्रापार मार्ग लंबाई 03 कि.मी. तक पक्की सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
57. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गिदसे जलाशय नहर लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
58. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मन्होरा जलाशय नहर लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
59. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत लाममेटा जलाशय का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
60. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत धोरिया जलाशय का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
61. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कडेकी एनीकट बैंक प्रोटेक्शन कार्य का उल्लेख नहीं है।
62. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत झूरानाला एनीकट जीर्णोद्धार एवं बैंक प्रोटेक्शन कार्य का उल्लेख नहीं है।
63. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तुमड़ी लेवा एनीकट बैंक प्रोटेक्शन कार्य का उल्लेख नहीं है।
64. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नांदिया एनीकट बैंक प्रोटेक्शन कार्य का उल्लेख नहीं है।
65. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मोंगरा परियोजना के डोगरगांव डिस्ट्रीब्यूशन की 14 माईनर की जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
66. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मोंगरा बापीतर नहर के 17 लघु शाखा नहर का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
67. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत घुमरिया डायवर्सन का लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
68. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत थुहाडबरी एनीकट का जीर्णोद्धार निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
69. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मासूल स्टापडेम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
70. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दाऊटोला एनीकट बैंक प्रोटेक्शन कार्य का उल्लेख नहीं है।
71. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हातमकोड़ो जलाशय नहर लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
72. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मांभाटोला जलाशय जीर्णोद्धार नहर लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।

73. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पेन्दलतुही जलाशय जीर्णोद्धार नहर लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
74. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नवाटोला जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
75. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बिटाल जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
76. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पदमुड़ा जलाशय सदृढीकरण एवं नहर लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
77. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सीताकसा व्यपवर्तन सदृढीकरण एवं नहर लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
78. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शिकारी महका जलाशय बांध मरम्मत एवं नहर लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
79. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हालेकोसा बांध मरम्मत एवं नहर लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
80. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पिनकापार जलाशय एवं नहर लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
81. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत धोधरे एनीकट निर्माण का उल्लेख नहीं है।
82. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत एडमागोडी जलाशय जीर्णोद्धार शूरफाल एवं नहर लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
83. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सोमाझिटिया एनीकट के अपस्ट्रीम में बैंक प्रोटेक्शन में वाल कांक्रीट ब्लॉक पिचिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
84. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सांवरादाहरा में अपस्ट्रीम में प्रोटेक्शन कार्य का उल्लेख नहीं है।
85. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तलवार टोला बांध मरम्मत एवं नहर लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
86. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रानीपुर खडखडी एनीकट निर्माण का उल्लेख नहीं है।
87. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सल्हईटोला नदी किनारे तरबांध निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

88. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बरारमुण्डी नदी के दोनों किनारे तटबांध निर्माण का उल्लेख नहीं है।
89. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खातूटोला बैराज में रंगीटोला से नागरकोहरा माईनर केनाल का निर्माण का उल्लेख नहीं है।
90. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मरारटोला विकासखण्ड अम्बागढ़ चौकी में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
91. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 02 नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
92. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 04 नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
93. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
94. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12 नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
95. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 14 नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
96. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 05 नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
97. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 07 नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
98. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भिदर्रा में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
99. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड छुरिया ग्राम भुंजाकला में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
100. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड छुरिया के ग्राम धोरतालाव में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
101. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड अम्बागढ़ चौकी के ग्राम जोरातराई में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
102. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड छुरिया के ग्राम फाफासार में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।

103. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड छुरिया के ग्राम सालहेटोला में गौरवपथ निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
104. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड छुरिया के ग्राम झाडीखैरी में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
105. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड छुरिया के ग्राम पण्डरापानी में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
106. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड छुरिया के ग्राम मासूतकाना में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
107. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड छुरिया के ग्राम शिकारीटोला में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
108. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड छुरिया के ग्राम आमगांव में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
109. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड छुरिया के ग्राम जोगी लमती में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
110. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड छुरिया के ग्राम गर्रापारा में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।

6. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. नक्सली समस्या के उन्मूलन का उल्लेख नहीं किया गया है।
2. सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कोई उल्लेख नहीं है।
3. वनवासी भाई बहनों के जीवकोपार्जन बढ़ाने की दिशा में कोई उल्लेख नहीं है।
4. आदिवासी अंचल में स्वास्थ्य सुविधा का कोई उल्लेख नहीं है।
5. कला, संस्कृति के संवर्धन एवं साहित्य के दिशा में कोई उल्लेख नहीं है।
6. सिंचाई क्षमता बढ़ाने के दिशा में कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
7. किसानों की सुख-सुविधा बढ़ाने की दिशा में कोई उल्लेख नहीं है।
8. उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।
9. पर्यटन की दिशा में पर्यटकों की सुख सुविधा हेतु अधोसंरचना निर्माण का उल्लेख नहीं है।
10. बेरोजगारी की दिशा में कोई उल्लेख नहीं है।
11. लो-वोल्टेज समस्या का निवारण हेतु कोई भी विद्युत उत्पादक परियोजना का उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. दो साल के धान के बकाया बोनस राशि के भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।
2. आदिवासियों के हितों के संरक्षण के लिये नीतियों का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के बेराजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
4. मंहगाई के कारण आमजनों को राहत देने हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
5. खेतीहार मजदूर किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिये किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
6. सड़क, पुल-पुलिया व अधोसंरचना के कार्य हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
7. धार्मिक एवं सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने व समृद्ध करने में सरकार को किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
8. खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने एवं राज्य में विभिन्न खेल व खिलाड़ियों का प्रोत्साहित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत खरीदे गये धान की राशि का भुगतान 3100 रु. प्रति क्विंटल की दर का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में वनों की कटाई रोककर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कोई नीति का उल्लेख नहीं है।
11. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत बकाया किश्त की राशि का भुगतान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूह (पी वी टी जी) की मूलभूत सुविधाओं का कोई उल्लेख नहीं है।
13. पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिये शासकीय गृह आवास का कोई उल्लेख नहीं है।
14. युवाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में किसी भी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
15. महिलाओं एवं शिशुओं के समुचित स्वास्थ्य सुविधा हेतु मातृ-शिशु अस्पतालों एवं जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों का कोई उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में चाकूबाजी, हत्या, तस्करी, नक्सली घटनाओं में विगत दो माह से बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है।
2. प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधोसंरचना विकास के कार्य की अपूर्णता के कारण, कार्य की धीमी गति से विभाग को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
3. प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत जारी गैस कनेक्शन के अधिकांश, गैस अधिक मूल्य के कारण, उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। गैस के मूल्य कमी हेतु कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
4. पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गांवों में किये जा रहे अधोसंरचना में गुणवत्ता की कमी से आम जनता की शिकायत है, किन्तु उचित निराकरण व कार्यवाही नहीं की जा रही है।
5. प्रदेश में घर-घर निर्मल जल पहुंचाने संचालित जलजीवन मिशन का अधिकांश कार्य अपूर्ण होने से ग्रामीण जनता को इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।
6. प्रदेश में वर्तमान 2024 की स्थिति अनुसूचित जन जातियों की वास्तविक जनसंख्या उपलब्ध नहीं होने से उनके उन्नयन की योजनाएं अपर्याप्त है।
7. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी वर्ष 2023-24 के घोषित मूल्य एवं समर्थन मूल्य की राशि की अंतर राशि धान कृषकों को अप्राप्त है।
8. धार्मिक समरसता हेतु विख्यात शांत प्रदेश में धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक एवं शासकीय रूप देकर आम जनता के आस्था में खिलवाड़ किया जा रहा है।
9. प्रदेश में कृषक कल्याण हेतु योजना की कमी व योजनाओं के अपूर्णता से कृषकों को लाभ नहीं हो जा रहा है इस पर ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।
10. प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कर्मचारी के असंतुलित पद स्थापना के कारण कमी व अतिशेष से शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण हो गई है, जिसका निराकरण आवश्यक है।
11. प्रदेश में महतारी वंदन योजना के नियम शर्तों के अनुसार लाखों की संख्या में महिलायें उस योजना से वंचित हो जायेंगी जिन्हें योजना के लाभ की नितान्त आवश्यक है।
12. प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण हेतु व्यय की गई राशि में अनियमितता व दुरुपयोग से उचित रूप से युवा वर्ग लाभान्वित नहीं हो पा रहा है।

13. प्रदेश में कैम्पा मद अंतर्गत वनों के संरक्षण, संवर्धन कार्यों में अनियमितता की गंभीर शिकायतों के प्रति सरकार के सजग न होने से उचित वन विकास नहीं हो रहा है।
14. प्राकृतिक सुंदरता से भरपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश में उद्योगों के स्थापना हेतु क्षेत्रीय विरोध के बावजूद हसदेव वन कटाई जैसी अनेक प्रकरण प्रदेश के हसदेव वन कटाई जैसी अनेक प्रकरण प्रदेश के प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत को समाप्त कर रहा है।

9. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. मस्तुरी विधानसभा के ग्राम जोधरा एवं सोन में नवीन कॉलेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
2. आत्मानंद विद्यालय के संचालन की नीति का उल्लेख नहीं किया गया है।
3. मस्तुरी विधानसभा के शिवनाथ नदी में हरदी एनीकट का मरम्मत कार्य एवं एनीकट के नीचे बांयी तट एवं दांयी तटबंध निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
4. मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनगंवा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश के संविदाकर्मि अनियमित कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन भोगियों का नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. मस्तुरी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम बसंतपुर डाईक निर्माण का उल्लेख नहीं है।
7. गैस सिलेंडर की सब्सिडी प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. नक्सल समस्या के समाधान का उल्लेख नहीं है।
9. आवास योजना पूर्ण करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
10. मस्तुरी विकासखंड उच्च स्तरीय विश्रामगृह निर्माण का उल्लेख नहीं है।
11. मस्तुरी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सोन में सरारा नाले के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण का उल्लेख नहीं है।
12. मस्तुरी विकासखंड के स्कूलों के उन्नयन एवं शासकीयकरण का उल्लेख नहीं है।
13. मस्तुरी विकासखंड के अंतर्गत आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के उन्नयन एवं शासकीयकरण का उल्लेख नहीं है।
14. मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पचपेड़ी में शासकीय महाविद्यालय का मूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
15. ग्राम पंचायत पचपेड़ी में पूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
16. मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ओखर, किसान परसदा एवं पंधी में नवीन मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
17. मस्तुरी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिनौरी से जुनवानी तक सड़क डामरीकरण निर्माण का उल्लेख नहीं है।
18. मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनगंवा के हाईस्कूल को हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

19. मस्तुरी विधानसभा के अंतर्गत सीपत, नवाडिह चौक से दर्राभाठा, लीलावार पुल तक मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
20. मस्तुरी विधानसभा के अंतर्गत पचपेड़ी चिल्हाटी मार्ग (व्हाया भरारी बोहराडीह लोहर्सी चिल्हाटी पहुंच मार्ग) लम्बाई 25 किमी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
21. मस्तुरी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम बकरकुदा से मटिया पहुंच मार्ग 6.00 किमी. निर्माण का उल्लेख नहीं है।
22. मस्तुरी विकासखंड के अंतर्गत अरपा नदी में विधा एनीकट का मरम्मत कार्य एवं एनीकट के नीचे बांयी तट एवं दांयी तट के तटबंध निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
23. मस्तुरी विकासखंड के अंतर्गत अरपा नदी में पाली एनीकट का मरम्मत कार्य एवं एनीकट के नीचे बांयी तट एवं दांयी तट के तटबंध निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
24. मस्तुरी विधानसभा के अंतर्गत देवगांव व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर लाईनिंग कार्य का जर्णोद्धार का उल्लेख नहीं है।
25. मस्तुरी विधानसभा के अंतर्गत शिवनाथ नदी में रहटाटोर एनीकट का मरम्मत कार्य एवं एनीकट के निचे बांयी तट एवं दांयी तट के तटबंध निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
26. मस्तुरी विधानसभा के अंतर्गत मेन रोड बहतारा से आमाकोना पहुंच मार्ग सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
27. मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टांवार (विद्याडीह) बेल्ला से ध्रुवाकारी तक नहर सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
28. मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेल्ला से चिल्हाटी नहर सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
29. मस्तुरी विधानसभा के अंतर्गत चिल्हारी से भरारी सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
30. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत चिल्हारी लोहर्सी मोड़ से सोनसरी तक नहर सड़क मार्ग कार्य का उल्लेख नहीं है।
31. मस्तुरी विधानसभा के अंतर्गत कोरबा, खोंदवा मार्ग सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है।
32. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम बिटकुला, निरतू मार्ग सड़क चौड़ीकरण एवं सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
33. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत विश्रामपुर, ठरकपुर, खैरवरपारा मार्ग का सड़क चौड़ीकरण एवं सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

34. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम लुतरा, खम्हरिया मार्ग सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
35. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम खोंदरा, कनाई मार्ग का चौड़ीकरण एवं सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
36. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत दवनडीह, भगोडीह, दरभाठा मार्ग का सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
37. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत सीपत, बलौदा, कोरबा मार्ग के किलोमीटर 5/2 एस कर्व एवं मध्यम पुल सहित सुधार एवं उन्नयन कार्य का उल्लेख नहीं है।
38. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत सीपत, बलौदा, कोरबा मार्ग के किलोमीटर 8/4 मध्यम पुल का निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
39. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत खारंग जलाशय के कार्य क्षेत्र स्थित खांडा निरीक्षण गृह, बकरकुदा निरीक्षण गृह, चिल्हाटी निरीक्षण गृह एवं सोन निरीक्षण गृह का मरम्मत कार्य का उल्लेख नहीं है।
40. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम सोन से सरार नाला का उन्नयन एवं पुननिर्माण तथा पुलिया निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
41. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत मल्हार से चिल्हाटी मार्ग (व्हाया धनगवां, ओरवर, गिधपुरी, बहतारा, भटचौरा) मार्ग 25 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
42. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत पेड़ी से खोरसी पहुंच मार्ग 2.50 किमी सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
43. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम लोहर्सी से सोनसरी नहर मार्ग 6 किमी सड़क निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
44. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम दर्रीघाट, धूमा, सिलपहरी, मानिकपुर मार्ग 5 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
45. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम चिस्दा से लोहर्सी पहुंच मार्ग 4 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
46. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत सोनसरी से परसोड़ी पहुंच मार्ग 2.50 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
47. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम सोन से सोनसरी सबरियाडेरा के बीच सरार नालो पर पुलिया सहित सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

48. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम बिनौरी से हरदी भगवानपाली नहर सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
49. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम सिस्दा से लोहर्सी केवटडीह भुतहा पहुंच मार्ग सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
50. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम दर्रीघाट, आवर , कोनी, इतवा, पाली सरसेनी, भटिया, गिधपुरी पहुंच मार्ग सड़क निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
51. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम सोनसरी से मुकुंदपुर पहुंच मार्ग सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
52. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम महमंद, फदहाखार पहुंच मार्ग सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
53. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम जुनवानी से जलसो पहुंच मार्ग सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
54. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम वेदपरसदा से कोनी पहुंच मार्ग सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
55. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत गायत्री मंदिर चिल्हारी से लोहर्सी पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
56. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत नवाडीह चौक से सीपत, झलमला, मोहरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
57. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत सीपत, बलौदा, कोरबा मार्ग का मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है।
58. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम खम्हरिया, सोठी, नवापारा, सड़क निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री कुंवरसिंह निषाद, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर और उन्नत करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
2. राज्य के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के संबंध में कोई कार्ययोजना परिलक्षित नहीं की गयी है।
3. राज्य में किसानों की स्थिति को और मजबूत करने के संबंध में कोई योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।
4. राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के संदर्भ में सार्थक पहल का उल्लेख नहीं किया गया है।
5. राज्य में बिगड़ती आर्थिक स्थिति को सुधारने के संबंध में किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं किया गया है।
6. राज्य में युवा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
7. राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
8. जिला बालोद में मेडिकल कॉलेज, बी.टी.आई. एवं बी.एड.कॉलेज संचालित करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
9. गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के नगर अर्जुन्दा एवं देवरी में रेस्ट हाऊस के निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।
10. गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के 438 आंगनबाड़ी केंद्र जो कि निजी भवन में संचालित हैं एवं 34 आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति जर्जर है, जिनके निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।
11. गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-पैरी में केंद्रीय विद्यालय, ग्राम-अचौद, ग्राम-पिनकापार एवं चौरेल में महाविद्यालय, ग्राम-खुटेरी (खे) में उपस्वास्थ्य केंद्र एवं देवरी सी.एच.सी. में ओ.टी. प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
12. गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खामभार में 132 के.वी. बिजली उपकेन्द्र निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।
13. राज्य के विधानसभा क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं, सड़क, बिजली, पानी, आंगनबाड़ी भवन, स्कूलों के उन्नयन, कॉलेजों की मांग, उच्चस्तरीय पुल, पुलिया निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

14. राज्य शासन के अधीन अधिकारियों, कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं, वेतन संबंधी विसंगतियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
15. राज्य में निवासरत विधवा, परित्यक्ता महिलाओं, कुपोषित बच्चों के कल्याण एवं उत्थान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
16. आर्थिक रूप से अक्षम राज्य के गरीब परिवारों के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

11. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. बच्चों के खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
2. उद्योग को बढ़ावा देने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
3. नवगठित जिलों में कार्यालय भवन का निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के स्वास्थ्य व उपस्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त नर्स की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
5. नवगठित जिलों के रिक्त पदों में भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
6. भूमिहीन खेतीहार मजदूर के लिए योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश की महिला समूह को रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के सभी पत्रकारों को सुरक्षा कानून का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में शराब बंदी का कोई उल्लेख नहीं है।
10. बिजली बिल आधा करने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. गैस सिलेन्डर में 500 रु. की सब्सिडी करने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. 56 प्रकार के लघु वन उपजों के समर्थन मूल्य में खरीदी का कोई उल्लेख नहीं है।
13. नवगठित जिलों के विकास हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
14. शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने एवं बेरोजगारी भत्ता का कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में सिंचाई साधन को बढ़ावा देने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. 18 लाख नये घर बनाने का वादा किया गया, परंतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
2. प्रति एकड़ 21 किचंटल धान खरीदी का कोई उल्लेख नहीं है।
3. रसोई गैस में छूट देने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
4. रामलला के दर्शन हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
5. महतारी वंदन योजना के सभी विवाहित महिलाओं को लाभ दिलाने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
6. घोषणा अनुरूप किसानों की धान की एकमुश्त राशि दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
7. तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ताओं को चरण पादुका देने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री इन्द्र शाह मण्डावी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. विधान सभा मोहला-मानपुर के बड़े कलकसा से छोटे कलकसा होते हुए पडरीतराई पुल-पुलिया सहित सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
2. विधान सभा मोहला-मानपुर के करमतारा से सालहे जलहल तक सड़क निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
3. विधान सभा मोहला-मानपुर के हलोरा आमाकौंडा मुख्य मार्ग से पीटेपेरा मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
4. विधान सभा मोहला-मानपुर के वोटिया से जम्के मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
5. विधान सभा मोहला-मानपुर के उमरपाल से घोड़ागाक मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
6. विधान सभा मोहला-मानपुर के औधी से सरखेड़ा, शारदा मार्ग पर बांदे नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
7. विधान सभा मोहला-मानपुर के पेपोड़ी से डोडके के आर.डी. 2050 मीटर पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
8. विधान सभा मोहला-मानपुर के सीतागांव के हाईस्कूल से हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन कार्य का उल्लेख नहीं है।
9. विधान सभा मोहला-मानपुर के करमतारा के हाई स्कूल से हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन कार्य का उल्लेख नहीं है।
10. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम ईशगांव में नवीन हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
11. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम टोहे में नवीन हाईस्कूल भवन निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
12. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम भोजाटोला में नवीन हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
13. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम मरकेली में नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

14. विधान सभा मोहला-मानपुर के कंडाडी (मानपुर) में नवीन हाईस्कूल भवन निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
15. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम करमरी में नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
16. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम परसाटोला में नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
17. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम मदियानवाड़ी में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
18. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम मदनवाड़ा में नवीन स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना का उल्लेख नहीं है।
19. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम सीतागांव में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना का उल्लेख नहीं है।
20. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम बीचेकोहड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
21. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम मानपुर में शासकीय प्री.-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
22. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम नेदगांव में शासकीय प्री.-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
23. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम मोहला में नवीन सर्किट हाऊस निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
24. विधान सभा मोहला-मानपुर के खड़गांव में नवीन रेस्ट हाऊस निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
25. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम खड़गांव में नवीन महाविद्यालय स्थापना कार्य का उल्लेख नहीं है।
26. विधान सभा मोहला-मानपुर के गोटाटोला में नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
27. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम कौड़ीकाना में नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक स्थापना का उल्लेख नहीं है।

28. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम विचारपुर में नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक स्थापना कार्य का उल्लेख नहीं है।
29. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम गोटाटोला को नवीन उप तहसील का उल्लेख नहीं है।
30. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम बोईरडीह में स्टापडेम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
31. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम पुसेवाड़ा में स्टापडेम निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
32. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम परवीडीह में एनीकट निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
33. विधान सभा मोहला-मानपुर के नरसूटोला में एनीकट निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
34. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम सीतागांव में स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
35. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम डण्डासुर के चेहरादण्ड जंगल नाला में जलाशय निर्माण का उल्लेख नहीं है।
36. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम भानसा/चकतेरा में एनीकट निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
37. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम हलोरा/पिटेमेरा एवं सालहेभट्टी तक 17 कि.मी. मार्ग निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
38. ग्राम उसमाल से झरन होते हुए धावड़ेटोला पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
39. विधान सभा मोहला-मानपुर के परसधार से पांदरवानी कार्य 03 कि.मी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
40. ग्राम डुमरघुचा से मुरेर सड़क निर्माण कार्य 02 कि.मी. का उल्लेख नहीं है।
41. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम जामड़ी से तेरेगांव 04 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
42. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम नवागांव-वालेर घोड़झरी पुल-पुलिया सहित 06 कि.मी. मार्ग निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
43. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम टोहे-परालसर 06 कि.मी. मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
44. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम सीतागांव/औधी मार्ग से कुन्जकन्हार के आर.डी. 425 मीटर पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

45. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम बोरिया ठेकेदारी से जम्के के आर.डी. 3000 पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
46. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम पेरोड़ी से दोड़के के आर. डी. 4000 मीटर पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
47. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम वासडी के हाईस्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन कार्य का उल्लेख नहीं है।
48. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम मुकादाह में नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
49. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम मोतीपुर में नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
50. विधान सभा मोहला-मानपुर के ग्राम खडगांव में नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक स्थापना कार्य का उल्लेख नहीं है।